# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार

पिन कोड– 249404

संख्या :: 67/07/E-02/DR/AG(RO/ARO)/2017-18 दिनाँक :: 10 जून, 2022

## विज्ञप्ति

**महाधिवक्ता कार्यालय के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा–2021**

**Advocate General's Office Review Officer/Assistant Review Officer Exam-2021**

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि महाधिवक्ता कार्यालय के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा–2021 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या– A-3/E-2/DR/AG(RO/ARO)/2021, दिनाँक 15 अगस्त, 2021 के सापेक्ष दिनांक 27 मार्च, 2022 को आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम, विज्ञप्ति संख्या– 28/27/गोपन–02/महा0(स0अ0/स0स0अ0)/2021–22, दिनांक 26 मई, 2022 द्वारा घोषित किया गया है।

02. उक्त परीक्षा परिणाम में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट **www.psc.uk.gov.in** पर उपलब्ध लिंक का प्रयोग करते हुए निर्धारित मुख्य परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त ऑनलाइन आवेदन–पत्र (जिसमें अनुक्रमांक अंकित हो) तथा अभिलेखों की चैकलिस्ट, आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड करते हुए समस्त शैक्षणिक, आरक्षण इत्यादि अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति के साथ आयोग कार्यालय में जमा किया जाना है। अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर परीक्षा का नाम **"महाधिवक्ता कार्यालय के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा–2021"** अवश्य अंकित करें।

03. उक्तानुसार परीक्षा शुल्क जमा करते हुए समस्त अभिलेख **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा, आयोग, हरिद्वार–249404** के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा किये जाने की अन्तिम तिथि **01 जुलाई, 2022 (शुक्रवार) (सायं 06:00 बजे तक)** निर्धारित की गयी है। उक्तांकित निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्र/अभिलेखों को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थियों को उपरोक्त के सम्बन्ध में डाक द्वारा पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी। अभ्यर्थी समस्त अभिलेख/प्रमाण–पत्र सावधानीपूर्वक भली–भांति चैक करने के पश्चात ही आयोग को प्रेषित करें तथा किसी भी दशा में अपूर्ण व अस्पष्ट अभिलेख प्रेषित न करें।

अभ्यर्थी उक्त के सम्बन्ध में मुख्य परीक्षा शुल्क जमा किये जाने हेतु लिंक एवं चैकलिस्ट का अवलोकन आयोग की वेबसाइट **www.psc.uk.gov.in** पर करना अवश्य सुनिश्चित करें।

**-Sd-**

(एस0 एल0 सेमवाल)

प्रभारी सचिव।